

द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2021-22 में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल के द्वारा दिनांक 20 मई 2023 को आयोजित द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा 2021-22 में सफल/चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अंकना का परीक्षण मूल प्रमाणपत्रों एवं अभिलेखों से करने एवं प्रशिक्षण के लिए जनपद आवंटन हेतु राज्य स्तरीय काउंसलिंग राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, देहरादून के सभागार में दिनांक 24 अगस्त 2023 से 06 सितम्बर 2023 तक निर्धारित की जाती है। परीक्षाफल (योग्यता सूची/चयन सूची) नितान्त औपबन्धिक है। सफल अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि प्रवेश परीक्षा हेतु जारी शासनादेश एवं विवरणिका में अंकित समस्त अर्हताएँ पूर्ण करते हों। काउंसलिंग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत् हैं-

1. काउंसलिंग में सभी प्रतिभागी शालीन वेशभूषा में उपस्थित होंगे।
2. परीक्षा में सफल अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की विज्ञप्ति में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं अन्य से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रों को जांच समिति के सम्मुख अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	अभिलेख
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. हाईस्कूल परीक्षा का अंकपत्र । 2. हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र। 3. इण्टर परीक्षा का अंकपत्र। 4. इण्टर परीक्षा का प्रमाणपत्र। 5. स्नातक परीक्षा के प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर परीक्षा के अंकपत्र। 6. स्नातक परीक्षा का प्रमाणपत्र।
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. SC/ST/OBC/EWS के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र। (क) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा विज्ञप्ति की अन्तिम तिथि तक निर्गत होना अनिवार्य है। (ख) आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (EWS) में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा 28 मार्च 2022 से 28 मार्च 2023 के मध्य निर्गत होना अनिवार्य है।
	1. DFF/PH/Ex.Sol/ ORPHAN के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र।
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल की विज्ञप्ति दिनांक 01 मार्च 2023 के अनुसार एवं विवरणिका के अनुसार वांछनीय प्रमाणपत्र। (क) स्थाई निवास अथवा मूल निवास प्रमाणपत्र। (ख) नियोक्ता द्वारा जारी (अभिभावक/स्वयं का) सेवा/कार्यरत होने का प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्र का प्रारूप संलग्न है)
5	<ol style="list-style-type: none"> 1. डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेशपत्र । 2. आधार कार्ड अथवा कोई अन्य फोटो युक्त वैध आई0डी0।
6	<ol style="list-style-type: none"> 1. दो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ।

3. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र पर की गई समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अंकनाओं का परीक्षण मूल प्रमाणपत्र एवं अभिलेखों से किया जाएगा।
4. राज्य स्तर पर शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे की श्रेणी के सम्बन्ध में की गयी अर्हताओं के मिलान पर यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उसे निदेशक महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण अंकना अथवा विसंगति पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी तथा उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
6. काउंसलिंग के समय पाये जाने वाले विसंगति प्रकरणों की जाँच शासनादेश संख्या: BES-MISC/25-1/103/2022-XXIV-A-1 Basic Education Department दिनांक 07 अक्टूबर 2022 के बिन्दु संख्या 07 के अनुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
7. काउंसलिंग प्रक्रिया लगभग 10 कार्यदिवसों में सम्पन्न होगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में उपस्थित नहीं होंगे, उन्हें उनके आवेदन पत्र पर अंकित पते पर पंजीकृत पत्र द्वारा सूचना भेजकर काउंसलिंग में सम्मिलित होने का एक अन्तिम अवसर प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अंकित दूरभाष नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर भी उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
8. यदि पंजीकृत पत्र एवं दूरभाष व ई-मेल द्वारा सूचित करने के पश्चात् भी अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथियों को उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए, परीक्षा संस्था बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गयी प्रतीक्षा सूची से, वर्गवार, श्रेणीवार, आरक्षणवार रिक्त स्थानों/सीटों की पूर्ति कर दी जायेगी। इसमें अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
9. राज्य स्तरीय काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के कारण रिक्त रह गई सीटों को प्रतीक्षा सूची से भरने के उपरान्त, प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापित प्रकाशित कर, प्रमाण पत्रों के मिलान हेतु उपस्थिति के लिए निर्देशित किया जायेगा।
10. काउंसलिंग प्रक्रिया में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से, उत्तराखण्ड की 13 डायट्स की सीटों हेतु, वरीयता के आधार पर, प्राथमिकता के अनुरूप, विकल्प पत्र भरवाये जायेंगे। अभ्यर्थी प्रथम वरीयता में गृह जनपद को भरेंगे।
11. समस्त स्थानों/सीटों हेतु श्रेणीवार, वर्गवार काउंसलिंग किए जाने के पश्चात् अभ्यर्थियों के द्वारा भरे गये विकल्प पत्र में उल्लेखित वरीयता क्रम एवं श्रेष्ठता (मेरिट) के आधार पर प्रशिक्षण हेतु सीटों को भरे जाने की प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी।

काउंसलिंग हेतु समय-सारिणी – दिनांक 24 अगस्त 2023 से 06 सितम्बर 2023 तक

क्र० सं०	दिनांक	दिवस	वर्ग	श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	24.08.2023	वृहस्पतिवार	विज्ञान वर्ग	• सामान्य	चयन सूची के क्रमांक 01 से 57 तक (विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत सामान्य वर्ग में चयनित)
	25.08.2023	शुक्रवार		• सामान्य	चयन सूची के क्रमांक 58 से 114 तक (विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत सामान्य वर्ग में चयनित)
	26.08.2023	शनिवार		• सामान्य	चयन सूची के क्रमांक 115 से 172 तक (विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत सामान्य वर्ग में चयनित)
2.	28.08.2023	सोमवार		• अनु.जाति	चयन सूची के क्रमांक 173 से 228 तक (विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित)
				• अनु.जन.जाति	चयन सूची के क्रमांक 229 से 240 तक (विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित)
				• अन्य पिछड़ा वर्ग	चयन सूची के क्रमांक 241 से 283 तक (विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित)
3.	29.08.2023	मंगलवार		• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	चयन सूची के क्रमांक 284 से 312 तक (विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में चयनित)
				4.	विज्ञानेत्तर वर्ग
01.09.2023	शुक्रवार	• सामान्य		चयन सूची के क्रमांक 58 से 115 तक (विज्ञानेत्तर वर्ग के अन्तर्गत सामान्य वर्ग में चयनित)	
02.09.2023	शनिवार	• सामान्य	चयन सूची के क्रमांक 116 से 173 तक (विज्ञानेत्तर वर्ग के अन्तर्गत सामान्य वर्ग में चयनित)		
04.09.2023	सोमवार	• अनु.जाति	चयन सूची के क्रमांक 174 से 234 तक (विज्ञानेत्तर वर्ग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित)		
5.	05.09.2023	मंगलवार	• अनु.जन.जाति	चयन सूची के क्रमांक 235 से 246 तक (विज्ञानेत्तर वर्ग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित)	
			अन्य पिछड़ा वर्ग	चयन सूची के क्रमांक 247 से 292 तक (विज्ञानेत्तर वर्ग के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित)	
6.	6.09.2023	बुधवार	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	चयन सूची के क्रमांक 293 से 322 तक (विज्ञानेत्तर वर्ग के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में चयनित)	

उपरोक्त तालिका उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल द्वारा दिनांक 20 मई 2023 को आयोजित डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा 2021-22 के घोषित परीक्षाफल (योग्यता/चयन सूची) के आधार पर तैयार की गई है। एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड द्वारा काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के समागार में उपरोक्त/संलग्न तालिका के अनुसार प्रस्तावित है। तालिका में अंकित तिथियों के अनुसार अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में वांछित समस्त मूल प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों सहित स्वयं उपस्थित होंगे। अभ्यर्थी को इन प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों की स्वप्रमाणित एक-एक छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज की दो नवीनतम फोटोग्राफ भी, अनिवार्य रूप से, काउंसलिंग के समय समिति को उपलब्ध करानी होगी। अभ्यर्थी शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड-19 से सुरक्षा के दृष्टिगत समस्त निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

काउंसलिंग में आने से पूर्व सफल अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि-

1. 01 जुलाई 2023 को अभ्यर्थी की आयु 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, अर्थात् अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01 जुलाई 1993 से पूर्व एवं 01 जुलाई 2004 के बाद की न हो। भूतपूर्व सैनिकों एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।
2. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि (27 फरवरी 2023) से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित (चयनित उपवर्ग के अनुसार निर्धारित विषय/विषयों) में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो।
3. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सम्बन्धित श्रेणी (यथा अनुसूचित जाति, जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर) का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र हो।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा विज्ञप्ति की अन्तिम तिथि तक निर्गत होना अनिवार्य है।
5. आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (EWS) में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा 28 मार्च 2022 से 28 मार्च 2023 के मध्य निर्गत होना अनिवार्य है।
6. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी (DFF) में चयनित अभ्यर्थियों के पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र हो, जिससे उनके स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का आश्रित होने की पुष्टि हो सके।
7. विकलांगता (PH) श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता (40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता) का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र हो।
8. भूतपूर्व सैनिक- स्वयं (Ex. Sol. Self) श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सेना से सेवानिवृत्ति सम्बन्धी अभिलेख (कमांडिंग ऑफिसर एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदत्त) हो, जिससे उनके भूतपूर्व सैनिक होने की पुष्टि हो सके। साथ ही सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आते हों। विज्ञ हों कि इस परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त कर्मियों को देय है, उनके आश्रितों को नहीं।
9. अनाथ श्रेणी (Orphan) में चयनित अभ्यर्थियों के पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

10. उध्वाधर (Vertical), तथा क्षैतिज (Horizontal) दोनों आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
11. ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी नहीं हैं, को शासनादेश संख्या: BESI-MISC/25-1/103/2022-XXIV-A-1 Basic Education Department दिनांक 07 अक्टूबर 2022 के बिन्दु संख्या 02 (क) सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रूप से उत्तराखण्ड में ऐसे कर्मी, जिनकी सेवायें उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नहीं हो सकती, के अनुक्रम में अपने अभिभावक का नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से काउंसलिंग में प्रस्तुत करना होगा। नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र का नमूना संलग्न है।
12. काउंसलिंग में अपने अभ्यर्थन से सम्बन्धित मूल अभिलेख प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति, में सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, एवं प्रतीक्षा सूची से वरीयता क्रम में अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही की जाएगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
13. काउंसलिंग में अभ्यर्थी अपने चयनित वर्ग/श्रेणी के अनुसार निर्धारित तिथि को प्रतिभाग करें।
14. कोविड-19 के दृष्टिगत निम्न निर्देशों का अनुपालन आवश्यक है—
- काउंसलिंग कक्ष में मात्र अभ्यर्थी ही जा सकेंगे।
 - बिना मास्क के अभ्यर्थी को काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा।
 - प्रत्येक अभ्यर्थी अपना स्वयं का सेनिटाइजर भी रखेगा/रखेगी।
 - सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
 - अभ्यर्थी काउंसलिंग स्थल के बाहर भीड़ एकत्रित नहीं करेंगे, साथ ही कोविड-19 की गाईडलाइन का पालन करेंगे।

आशारानी पैन्थूली
संयुक्त निदेशक
एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड

डा० एस.बी.जोशी
अपर निदेशक
एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड

बन्दना गर्ब्याल
नोडल अधिकारी/निदेशक,
अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण
उत्तराखण्ड